न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 141 / 2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. शंकरसिंह पिता विशनसिंह राजपूत निवासी छापरी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. कालु पिता अमरचन्द लुहार
2. बालु पिता अमरचन्द लुहार
3. शांन्तिलाल पिता बंशीलाल लुहार
4. शिवलाल पिता बंशीलाल लुहार
5. इन्द्रा पुत्री बंशीलाल लुहार
6. भागुडी पुत्री बंशीलाल लुहार
7. पुष्पा बेवा बंशीलाल लुहार
8. मोहनी पत्नि भुरा लुहार
9. गणपतलाल पिता गोपी लुहार
10. सीमा पुत्री गोपी लुहार
11. केसर पुत्री गोपी लुहार
12. मांगी पत्नि गोपी लुहार
13. नारायण पिता रामा लुहार

    सर्व निवासी छापरी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. अरविन्द कुमार पिता गणपतलाल गेलड़ा (महाजन) निवासी जैल के सामने,रायपुर रोड गंगापुर तहसील सहाड़ा।
15. लेहरूलाल पिता माना माली निवासी गोवलिया तहसील सहाड़ा।
16. लोकेश पिता गणेश भील
17. जमनी पुत्री गणेश भील
18. प्रेमी पत्नि गणेश भील
19. धन्ना पिता रता भील
20. नोजी बेवा रता भील

    सर्व निवासी छापरी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः– 18 / 10 / 2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत [illegible] ग्राम छापरी पटवार हल्का [illegible]डिया खेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खा[illegible]री अधिकार एवं कब्जे [illegible] की आराजी संख्या 315 रकबा 1.70 हे0 316 रकबा 0.16 हे0 317 रकबा 0.04 हे0 318 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.10 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 28 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

क्रमशः....02

प्रकरण संख्या :– 141/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम छापरी पटवार हल्का नेगडिया खेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 315 रकबा 1.70 हे0 316 रकबा 0.16 हे0 317 रकबा 0.04 हे0 318 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.10 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1,050/– (एक हजार पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 1,050/– (एक हजार पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested